



सं. केमाशिबो/भर्ती प्रकोष्ठ/1)1/(2018/10985-11084

दिनांक 03.07.2018

अधिसूचना

कैडर समीक्षा समिति की सिफारिशों, दिनांक 25.06.2018 को आयोजित बोर्ड की वित्तीय समिति बैठक में आइटम सं. IX के अनुमोदन और दिनांक 28.06.2018 को आयोजित शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक में इसके अनुसमर्थन करने और बोर्ड के नियंत्रण प्राधिकारी, मा.सं.वि.मंत्रा. के सचिव(एसई एवं एल) के अनुवर्ती अनुमोदन के फलस्वरूप, सचिवलीय कैडर में निम्नलिखित संशोधनों को शामिल किया गया है:-

i) पुनः गठित सचिवलीय कैडर इस प्रकार होगा :-

वेतनमान सहित पद नाम	पद की विद्यमान संख्या	परिशोधित स्वीकृत पद	भर्ती की विधि	कार्यकाल अवधि (पदोन्नति के लिए)
प्रधान निजी सचिव लेवल-12 (पी बी-3 रु.15600-39100+ ग्रे पे रु. 7600)	कोई नहीं	05	पदोन्नति अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	नियमित आधार पर पे लेवल 11 में पाँच वर्ष की सेवा सहित वरिष्ठ निजी सचिव
वरिष्ठ निजी सचिव लेवल-11 (पी बी-3 रु.15600-39100+ ग्रे पे रु. 6600)	12+1	10	100% पदोन्नति	नियमित आधार पर पे लेवल 7 में पाँच वर्ष की सेवा सहित निजी सचिव
निजी सचिव 7 वें सीपीसी के लेवल-7 (पी बी-2 रु.9300-34800+ ग्रे पे रु. 4600)	12	18	100% पदोन्नति	नियमित आधार पर पे लेवल 6 में चार वर्ष की सेवा सहित निजी सहायक
निजी सहायक 7 वें सीपीसी के लेवल-6 (पी बी-2 रु.9300-34800+ ग्रे पे रु. 4200)	28	30	100% पदोन्नति अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रवेश ग्रेड में स्थायीकरण सहित लेवल-4 में चार वर्ष की नियमित निरंतर सेवा सहित आशुलिपिक
आशुलिपिक 7 वें सीपीसी के लेवल-4 (पी बी-1 रु.5200-20200+ ग्रे पे रु. 2400)	71	50	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

ii) पदोन्नति संभावना हेतु सचिवलीय कैडर के किसी भी पद को अन्य किसी भी पद में विलय नहीं किया जाएगा।

iii) परिशोधित भर्ती नियम संलग्न है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/-

(अनुराग त्रिपाठी)

सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
2. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के.मा.शि.बो. वरिष्ठ निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (आईटी) /वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी/आईएफए के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारी/ उत्कृष्टता केंद्र
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर बोर्ड के सभी अन्य अधिकारी
6. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ
7. स्क्रेप फाइल/ नोटिस बोर्ड